## LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## **REVISED LIST OF BUSINESS** Monday, 08th April 2024 / 19 Chaitra 1946 (Saka) 11.00 AM

#### **Special Mention (Rule-280) :** 1.

The following Members to raise matters under Rule-280 with permission of the Chair :

- 1. Shri Mohan Singh Bisht
- 2. Shri Abhay Verma
- 3. Shri Bhupinder Singh Joon
- 4. Shri Ajay Mahawar
- 5. Shri Rajesh Gupta

- 6. Shri Rohit Kumar
- 7. Shri Jitender Mahajan
- 8. Shri Rituraj Govind
- 9. Smt. Preeti Jitender Tomar
- 10. Shri Vijender Gupta

**Calling Attention (Rule-54) :** 2. Shri Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Member to call the attention of the House towards "shortage of medicines in Mohalla Clinics, Hospitals and Dispensaries of Delhi Government and apprehension of stoppage of free test facilities in Mohalla Clinics from April, 2024 due to some concerned Officers".

**Short Duration Discussion (Rule-55) :** 3. Shri Madan Lal Shri Akhilesh Pati Tripathi Shri Vinay Mishra to initiate discussion on 'Attempts regarding imposition of President's Rule in Delhi in an unconstitutional manner'.

### Delhi 08 April 2024

Raj Kumar Secretary

# विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सशोधित कार्यसूची सोमवार, 08 अप्रैल, 2024 / चैत्र 19, 1946 (शक्) 11.00 बजे पूर्वाहन

#### विशेष उल्लेख (नियम–280) : 1.

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत मामले उठाये जायेंगे:-

- श्री मोहन सिंह बिष्ट 1
- श्री अभय वर्मा 2 श्री भूपेंद्र सिंह जून

श्री अजय महावर

श्री राजेश गुप्ता

3

4

5

- श्री रोहित कुमार 6 श्री जितेंद्र महाजन 7
- 8
  - श्री ऋतुराज गोविंद श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर 9
- श्री विजेंद्र गुप्ता 10
- ध्यानाकर्षण (नियम–54) : 2.

श्री राजेंद्र पाल गौतम, माननीय सदस्य 'दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाईयों की कमी और कुछ संबंधित अधिकारियों के कारण अप्रैल, 2024 से मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त जांच सुविधायें बंद होने की आशंका'' के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) : 3. श्री मदन लाल श्री अखिलेश पति त्रिपाठी श्री विनय मिश्रा *''दिल्ली में असंवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश''* के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।